मध्यप्रदेश शासन
धार्मिक न्यास और धर्मस्व विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल-462004
// आदेश //

क्र. एफ 3-3/2022/68 भोपाल, दिनांक 04/08/2025

प्रति,

कलेक्टर,
जिला - इंदौर, उज्जैन, भोपाल, दमोह, सागर, विदिशा, रीवा, मऊगंज, सतना, मैहर, नीमच, मंदसौर, रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, देवास, आगर मालवा, शाजापुर, राजगढ़, रायसेन, सीहोर, नर्मदापुरम, कटनी।

विषयः- मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजना अंतर्गत तीर्थ यात्रा दिनांक 11.08.2025 से 31.10.2025 तक।

———00———

विषयांतर्गत कृपया धार्मिक न्यास और धर्मस्व विभाग के अंतर्गत मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना नियम-2012 एवं इस नियम में समय-समय पर संशोधित नियमों (विभागीय बेवसाईट www.dharmasva.mp.gov.in पर उपलब्ध) का अवलोकन करने का कष्ट करें। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना अंतर्गत मध्यप्रदेश के वरिष्ठ नागरिकों जो 60 वर्ष या अधिक आयु के व्यक्ति (महिलाओं के मामले में 2 वर्ष की छूट) जो आयकरदाता नहीं है, को प्रदेश/ प्रदेश के बाहर स्थित विभिन्न नाम निर्दिष्ट तीर्थ स्थानों में से एक या युग्म तीर्थों की यात्रा सुलभ कराने हेतु मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना परिकल्पित की गयी है।

1. योजना का क्रियान्वयन **IRCTC** (Indian Railway Catering and Tourism Corporation Limited), जो कि भारत सरकार का उपक्रम है, के द्वारा किया जा रहा है। यात्रा **IRCTC** के पैकेज के अनुसार की जायेगी। ट्रेन जिस स्थान से प्रारंभ होगी उसी स्थान पर ही वापस आकर रूकेगी। यात्रियों का चयन संबंधित जिले के कलेक्टर द्वारा किया जायेगा। चयन के पश्चात कलेक्टर यात्रियों की एक-एक सूची संचालक, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना, सिंहस्थ मेला कार्यालय, कोठी रोड उज्जैन तथा **IRCTC** के पर्यावास भवन, भोपाल स्थित कार्यालय को उपलब्ध करायेगें। उक्त सूची एवं आनुषंगिक कागजातों को स्थायी अभिलेख के रूप में कलेक्टर द्वारा संधारित किया जावेगा।
2. तीर्थ यात्रियों को विशेष ट्रेन द्वारा प्रस्थान के स्टेशन से लेकर यात्रियों को वापस उसी स्टेशन पर पहुँचाने की जिम्मेदारी **IRCTC** की रहेगी। यात्रा के दौरान यात्रियों को पेयजल, भोजन, नाश्ता एवं चाय आदि **IRCTC** उपलब्ध करायेगा। यात्रियों के रूकने की व्यवस्था, उन्हें तीर्थ स्थल तक बसों द्वारा ले जाने, वापस ट्रेन में लाने एवं गाइड आदि की व्यवस्था भी **IRCTC** करेगा।
3. ट्रेन जिन-जिन स्टेशनों से प्रारंभ होगी एवं रूकेगी वहॉ तक यात्री को स्वयं अपने व्यय से आना होगा। उसके पश्चात यात्रा हेतु कोई शुल्क देय नहीं होगा। **जिन जिलो/ जिला मुख्यालयों में स्टेशन/ स्टॉपेज नही है, संबंधित जिला कलेक्टर तीर्थ यात्रियों को बोर्डिंग स्टेशन तक लाने एवं वापस ले जाने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।** यदि कोई यात्री विशिष्ठ सुविधायें का लाभ प्राप्त करता है, उसका व्यय यात्री स्वयं वहन करेगा। यात्रियों से अपेक्षा है कि वे मौसम के अनुरूप वस्त्र, ऊनी वस्त्र, व्यक्तिगत उपयोग की सामग्री यथा कंबल, चादर, तौलिया, साबुन, कंघा, आवश्यक दवाईयां, दाढ़ी बनाने का सामान आदि साथ में रखें। तीर्थ यात्री अपने साथ ओरीजनल आधार कार्ड/ वोटर कार्ड अनिवार्य रूप से रखें।

Scanned with CamScanner

4. ट्रेन में उपलब्ध बर्थो के विरूद्ध तीर्थ यात्रियों/ सहायकों/ अनुरक्षक (एस्कार्ट) के रूप में शासकीय अधिकारी/ कर्मचारियों को भेजा जाना है। ट्रेनों में उपलब्ध बर्थो एवं अनुरक्षकों की संख्या को प्रत्येक जिले के लिये आवंटित किया गया है, ट्रेन जिस जिले से प्रारंभ होगी उसी **जिले से सुरक्षा कर्मियों की व्यवस्था की जाएगी।**

5. आवेदक एक या एक से अधिक स्थान के लिये यात्रा हेतु आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। परन्तु वह केवल एक ही स्थान की यात्रा कर सकेगा। यदि लाटरी में एक से अधिक स्थानों की यात्रा हेतु आवेदक का चयन होता है तब जिस स्थान की यात्रा में उसका नाम चयन सूची में ऊपर है उस स्थान के लिये उसे चयनित समझा जायेगा। यदि किसी व्यक्ति का चयन किसी यात्रा के लिये हो जाता है और यदि उसके पश्चात आयोजित होने वाली यात्रा की चयन सूची में भी उसका नाम है तब बाद वाली चयन सूची से उसका नाम हटा दिया जायेगा।

6. जिला कलेक्टर **पूर्वानुसार** योजना का प्रचार-प्रसार स्थानीय अखबारों में विज्ञापन जारी कर आवेदन आमंत्रित करेंगे। **उक्त आवेदन निकटतम तहसील, स्थानीय निकाय, जनपद कार्यालय अथवा कलेक्टर द्वारा निर्धारित अन्य विज्ञप्ति स्थानों पर जमा किये जा सकेंगें।**

7. **जिस जिले से ट्रेन आरंभ होगी उस जिले से संबंधित जिले के कलेक्टर ट्रेन में तीर्थ यात्रियों के स्वास्थ्य परीक्षण हेतु एक शासकीय डॉक्टर की ड्यूटी लगाना सुनिश्चित करेंगे।** ड्यूटी डॉक्टर चाहे तो अपने साथ सहायक को भी यात्रा में ले जा सकते है। डॉक्टर का मोबाईल नम्बर **IRCTC** को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

8. यदि जिले को आवंटित निर्धारित कोटे से अधिक आवेदन प्राप्त होते है। ऐसी स्थिति में यात्रियों का चयन कम्प्युटराईज्ड लॉटरी से किया जाये। निर्धारित कोटे से 10 प्रतिशत अतिरिक्त तीर्थ यात्रियों की पृथक से प्रतीक्षा सूची तैयार करेंगे। किसी कारण से कतिपय तीर्थ यात्री यात्रा में जाने में असमर्थ रहते है, तो ऐसी स्थिति में प्रतीक्षा सूची के अनुक्रम अनुसार तीर्थ यात्रियों को यात्रा पर भेजे जा सकते हैं। इसी प्रकार किसी जिले को आवंटित यात्रियों का कोटा पूर्ण नहीं होने पर उसे अन्य जिले की प्रतीक्षा सूची/ प्राप्त आवेदनों से पूर्ति की जा सकेगी।

9. कलेक्टर्स एवं प्रबंधक, **IRCTC** को निम्नलिखित निर्देश जारी किये जा रहे हैं इनका पालन करना सुनिश्चित करें:-

   (i) मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना में किसी भी स्थिति में कोई भी अनाधिकृत व्यक्ति ट्रेन में प्रवेश नही करें। यात्रा के दौरान जांच में अनाधिकृत व्यक्ति पाये जाने पर उसे उसी स्टेशन पर उतारा जा सकता है। अनाधिकृत व्यक्तियों के यात्रा करने पर उस व्यक्ति से, उससे संबंधित जिले के अनुरक्षकों एवं जिले के जिम्मेदार अधिकारियों से व्यय राशि वसूल की जावेगी।

   (ii) समस्त कलेक्टर्स मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना यात्रा का पर्याप्त प्रचार-प्रसार करें किसी भी स्थिति में निर्धारित कोटे से कम तीर्थ यात्री नहीं होना चाहिये एवं **जिले के समस्त विकासखण्डो एवं नगरीय निकायों से आवेदन पत्र प्राप्त करना सुनिश्चित किया जाये।** तीर्थ यात्रियों की निर्धारित पात्रता का परीक्षण किया जावें एवं सूची निर्धारित समयावधि में संचालक, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना एवं प्रबंधक, **IRCTC** को उपलब्ध कराई जावें ताकि तीर्थ यात्रियों के टिकिट बनवाने में असुविधा न हो।

Scanned with CamScanner

(iii) प्रबंधक **IRCTC** यह सुनिश्चित करें कि मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना की ट्रेन निर्धारित तिथि व समय पर संबंधित जिले में पहुँच सके ताकि तीर्थ यात्रियों को परेशानी न हो। ट्रेन के समय में अनावश्यक विलंब न हो। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत संबंधित तीर्थ यात्रियों को उत्तम गुणवत्ता का भोजन, नाश्ता एवं शुद्ध पेयजल (कम से कम 2 मिनरल वाटर की बोतलें प्रतिदिन) दी जावें।

(iv) मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत जाने वाले अनुरक्षक ट्रेन के प्रस्थान होने के उपरांत प्रति चार घंटे बाद तीर्थ यात्रियों की कुशलता के संबंध में संबंधित जिले के कलेक्टर एवं जिले के नोडल अधिकारी, कार्यालय संचालक, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना को अवगत कराएंगे। यह भी सुनिश्चित करेंगे कि तीर्थ यात्रियों को निर्धारित समय पर नाश्ता, भोजन एवं पेयजल की पर्याप्त व्यवस्था हो।

(v) जिले से एक पर्यवेक्षक (एक अनुरक्षक के स्थान पर) जो पद में तहसीलदार अथवा उसके समकक्ष हो, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन यात्रा में तीर्थ यात्रियों के साथ ट्रेन में यात्रा करेगा एवं **IRCTC** द्वारा की गयी समस्त व्यवस्थाएं (भोजन, नाश्ता, पेयजल, शौचालय की स्थिति, तीर्थ स्थल पर रूकने की व्यवस्था) के संबंध में प्रतिवेदन कलेक्टर के माध्यम से राज्य शासन को प्रेषित करेगा।

10. संबंधित कलेक्टर यात्रियों की सूची (**Hardcopy** एवं **Softcopy** ई-मेल dndvmp@gmail.com पर) संचालक, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना एवं अपर महाप्रबंधक (पर्यटन) **IRCTC** क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावास भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल को ई-मेल एड्रेस **irctc.bpl@gmail.com** पर उपलब्ध कराऐगें। तीर्थ यात्रियों की एक सूची संबंधित संभागायुक्त को उपलब्ध करायेंगे। कलेक्टर चयनित तीर्थ यात्रियों को रेल प्रस्थान की तिथि, समय एवं स्थान से अवगत करायेंगे। **IRCTC** तीर्थ यात्रियों की यात्रावार अभिप्रमाणित सूची विभाग को उपलब्ध करायेगा।

(अधिक जानकारी के लिये संचालनालय धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व कार्यालय उज्जैन का दुरभाष नम्बर-0734-2991135 एवं ई-मेल dndvmp@gmail.com पर संपर्क कर सकते है, साथ ही धार्मिक न्यास और धर्मस्व विभाग की वेबसाईट www.dharmasva.mp.gov.in से मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना से संबंधित आदेश, नियम, परिपत्र तथा आवेदन पत्र डाउनलोड किये जा सकते है। **IRCTC के महत्वपूर्ण नम्बर Tel: 0755-4285226 श्री राहुल होल्कर कार्यपालक (पर्यटन) मो.नं. 8287931729 श्री राजेन्द्र बोरवन, संयुक्त महाप्रवंधक (पर्यटन) मो.नं. 8287931608, ई-मेल irctc.bpl@gmail.com**

11. <u>यात्रा एवं आवेदन का कार्यक्रमः-</u>

क्र.	तीर्थ स्थान का नाम एवं यात्रा प्रारंभ होने का स्टेशन	यात्रा से संबंधित जिले	आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि	संचालक, तीर्थ दर्शन एवं IRCTC को सूची उपलब्ध कराने की दिनांक	संभावित यात्रा प्रारंभ होने की दिनांक
1	वाराणसी-अयोध्या	उज्जैन आगर मालवा सीहोर विदिशा	09-08-2025	11-08-2025	13-08-2025

Scanned with CamScanner

2	मथुरा-वृन्दावन	नीमच मंदसौर रतलाम	11.08.2025	15.08.2025	21.08.2025
3	तिरुपति	झाबुआ अलीराजपुर रतलाम उज्जैन	16.08.2025	22.08.2025	28.08.2025
4	वैष्णोदेवी	इंदौर बड़वानी देवास उज्जैन आगर मालवा	25.08.2025	31.08.2025	06.09.2025
5	कामाख्या	उज्जैन शाजापुर आगर मालवा राजगढ़	03.09.2025	09.09.2025	15.09.2025
6	तिरुपति	भोपाल रायसेन सीहोर नर्मदापुरम	12.09.2025	18.09.2025	24.09.2025
7	वैष्णोदेवी	कटनी दमोह सागर	23.09.2025	29.09.2025	05.10.2025
8	द्वारका-सोमनाथ	रीवा मऊगंज सतना मैहर	13.10.2025	19.10.2025	25.10.2025

12. **<u>यात्री ट्रेन के कार्यक्रम, स्टेशन, प्रस्थान/आगमन, दिनांक एवं जिलों को आवंटित कोटा की जानकारी निम्न सारणी अनुसार है</u>:-**

क्र.	ट्रेन के प्रारंभ होने का स्थान तथा जिन स्टेशनों पर रूकेगी	प्रस्थान एवं आगमन की दिनांक	जिलों के नाम	आवंटित वर्थो की संख्या	अनुरक्षकों एवं सुरक्षा कर्मियों की संख्या
1	उज्जैन (आगर मालवा)-सीहोर-विदिशा **वाराणसी (काशी)-अयोध्या** विदिशा-सीहोर-उज्जैन(आगर मालवा)	13.08.2025 18.08.2025	उज्जैन आगर मालवा सीहोर विदिशा	200 200 200 179	4+5(सुरक्षा) 4 4 4
2	नीमच-मंदसौर-रतलाम **मथुरा-वृन्दावन** रतलाम-मंदसौर-नीमच	21.08.2025 24.08.2025	नीमच मंदसौर रतलाम	250 250 279	5+5(सुरक्षा) 5 6
3	मेघनगर (झाबुआ, अलीराजपुर)-रतलाम-उज्जैन **तिरुपति** उज्जैन-रतलाम-मेघनगर	28.08.2025 02.09.2025	झाबुआ अलीराजपुर रतलाम उज्जैन	200 200 200 179	4+5(सुरक्षा) 4 4 4

Scanned with CamScanner

4	इंदौर (बड़वानी)-देवास-उज्जैन (आगर मालवा)- **वैष्णोदेवी** उज्जैन (आगर मालवा)-देवास-इंदौर (बड़वानी)	06.09.2025 11.09.2025	इंदौर बड़वानी देवास उज्जैन आगर मालवा	200 200 100 179 100	4+5(सुरक्षा) 4 2 4 2
5	उज्जैन(आगर मालवा)-शुजालपुर (शाजापुर)- राजगढ़(ब्यावरा) **कामाख्या** राजगढ़(ब्यावरा)-शुजालपुर-(शाजापुर)-उज्जैन (आगरमालवा)	15.09.2025 20.09.2025	उज्जैन शाजापुर आगर मालवा राजगढ़	200 200 200 179	4+5(सुरक्षा) 4 4 4
6	रानी कमलापति(भोपाल-रायसेन)-बुदनी(सीहोर)- नर्मदापुरम **तिरुपति** नर्मदापुरम-बुदनी(सीहोर)-रानी कमलापति (भोपाल-रायसेन)	24.09.2025 29.09.2025	भोपाल रायसेन सीहोर नर्मदापुरम	200 200 200 179	4+5(सुरक्षा) 4 4 4
7	कटनी - दमोह - सागर **वैष्णोदेवी** सागर - दमोह - कटनी	05.10.2025 10.10.2025	कटनी दमोह सागर	279 200 300	6+5(सुरक्षा) 4 6
8	रीवा (मऊगंज)-सतना-मैहर **द्वारका-सोमनाथ** मैहर-सतना-रीवा (मऊगंज)	25.10.2025 31.10.2025	रीवा मऊगंज सतना मैहर	200 179 200 200	4+5(सुरक्षा) 4 4 4

13.निम्नानुसार जिन जिलो/ जिला मुख्यालयों में स्टेशन/ स्टॉपेज नही है, संबंधित जिला कलेक्टर तीर्थ यात्रियों को बोर्डिंग स्टेशन तक लाने एवं वापस ले जाने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

क्रं.	**तीर्थ यात्रा का नाम**	**यात्रा प्रारंभ होने की दिनांक**	**यात्रा से संबंधित जिला**	**बोर्डिंग स्टेशन**
1	वाराणसी-अयोध्या	13.08.2025	आगर मालवा	उज्जैन
2	तिरुपति	28.08.2025	झाबुआ, अलीराजपुर	मेघनगर
3	वैष्णोदेवी	06.09.2025	बड़वानी	इंदौर
4	वैष्णोदेवी	06.09.2025	आगर मालवा	उज्जैन
5	कामाख्या	15.09.2025	आगर मालवा	उज्जैन
6	तिरुपति	24.09.2025	रायसेन	रानी कमलापति
7	तिरुपति	24.09.2025	सीहोर	बुदनी
8	द्वारका-सोमनाथ	25.10.2025	मऊगंज	रीवा

14. कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही प्रारंभ कर तत्काल अवगत करावें ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(स्वाति जैन)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
धार्मिक न्यास और धर्मस्व विभाग

Scanned with CamScanner

क्र. एफ 3-3/2022/68 **भोपाल, दिनांक 04/08/2025**

प्रतिलिपि :-

01. अपर मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर सूचनार्थ।
02. निज सचिव, माननीय राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), धार्मिक न्यास और धर्मस्व विभाग।
03. निज सचिव, प्रमुख सचिव, धार्मिक न्यास और धर्मस्व विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
04. आयुक्त जनसम्पर्क, जनसंपर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल।
05. संचालक, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना एवं संचालनालय, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
06. आयुक्त समस्त संभाग मध्यप्रदेश।
07. अपर महाप्रबंधक (पर्यटन) **IRCTC** क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावास भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
08. गार्ड फाईल।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
धार्मिक न्यास और धर्मस्व विभाग

Scanned with CamScanner